105

कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10 | कोर्ट फी COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES Rs.2 | कोर्ट फी COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES Rs.2 | कोर्ट फी COURT FEE एक रुपया ONE RUPEE Re.1

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल - ग्वालियर ।म0प्र0 ।

प्रकरण क्रमांक :निगरानी :2012

R 1498 /12

1- गंगदास भाई पटेल पिता करसनभाई पटेल आयु 56 वर्ष
धन्धा व्यापार व कृषि -
निवासी 228 अलखधामनगर उज्जैन

2- श्रीमती सावित्री बेन पति गंगदास पटेल आयु 54 वर्ष
धन्धा कृषि -
निवासी 228, अलखधामनगर उज्जैन

----आवेदकगण

Presented by Adv. Chaturvedi
24/5/12

विरूद्ध

1- जुल्लु । पुत्रगण
2- रमजु । मुमाबदा
3- युसुफ ।
4- मिस्किन ।
5- सोहराब ।
6- उस्मान ।

सभी निवासीगण ग्राम पानबिहार तहसील घटिया
जिला उज्जैन -------

7- विजयसिंह गौतम आत्मज रघुनाथसिंहजी आयु 45 वर्ष
धन्धा कृषि निवासी ग्राम [illegible] तहसील घटिया -
जिला उज्जैन ------अनावेदकगण

विषय - न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी घटिया जिला उज्जैन द्वारा
के प्रकरण क्रमांक 25 :अपील :11-12 मे दि0 3 - 1-2012
को पारित आदेश के विरूद्ध धारा 50 म0प्र0 भू0रा0 संहिता
के अन्तर्गत निगरानी का स्मरण -पत्र ।

Chaturvedi 24/5/12

XXIX(a)-BR(H)-11

105

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1498-पीबीआर/12 **जिला -** उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र जैन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	